संख्या-04/2026/225/58-2-2026-1915111

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ : दिनांक 20.03.2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2415-80-004-05-क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केन्द्र की योजना में नवीन मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-183.50 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में रू0-61.18 लाख अवमुक्त कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-158/बजट/2025-26, दिनांक 07.03.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान सं0-10 लेखाशीर्षक-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-004-अनुसंधान-05-क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केन्द्र योजनान्तर्गत मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में नई मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 183.50 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में रू0-61.18 लाख (रूपये इकसठ लाख **अठारह** रह हजार मात्र) को अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मद/कार्यों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) निदेशक/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करेगें कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(5) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक/वित्तीय नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।

(6) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का उत्तरदायित्व होगा।

(7) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को निदेशक/वित्ति नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निदेशक/वित्त् नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

http://shasa...up.gov.in

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(11) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।

(13) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(14) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह प्रशासकीय विभाग का उत्तरदायित्व होगा।

(15) निदेशक/वित्तिय नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 61,18,000 (रुपये इकसठ लाख अठारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 010 लेखा शीर्षक 2415800040500 क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्वलेषण केन्द्र मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-373-X-2025-26-दिनांक:19-3-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभंजन यादव)
उप सचिव।

<u>संख्या-04/2026/225(1)/58-2-2026, तद्दिनांक::</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रभंजन यादव)
उप सचिव।

http://sfasanadesh.up.gov.in